नथुराम बनाम किशनलाल वगै.
मुकदमा नम्बर 189/2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (नागौर)

पीठासीन अधिकारी : श्री अंशुल सिंह, आर.ए.एस.

वादीः–

नाथुराम पुत्र भंवरलाल जाति नायक उम्र 38 वर्ष निवासी खारड़िया तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. किशनलाल पुत्र मुलाराम जाति मेघवाल उम्र 41 वर्ष निवासी रावा तहसील कुचामन सिटी।
2. छीगनाराम पुत्र गणेशराम जाति मेघवाल उम्र 77 वर्ष निवासी खारडिया तहसील नावां।
3. फेफली पत्नि छितर जाति मेघवाल उम्र 55 वर्ष निवासी खारड़िया तहसील नावां।
4. फुलकीदेवी पत्नि छिगनाराम जाति मेघवाल उम्र 65 वर्ष निवासी खारड़िया तहसील नावां।
5. मदनगोपाल पुत्र नत्थुराम जाति मेघवाल उम्र 65 वर्ष निवासी प्लॉट नम्बर 153 पृथ्वीराज नगर महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर।
6. लिछमणराम पुत्र गणेशराम जाति मेघवाल उम्र 67 वर्ष निवासी खारड़िया तहसील नावां।
7. सरोज पत्नि पवन जाति मेघवाल उम्र 27 वर्ष निवासी खारड़िया तहसील नावां।
8. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां तहसील नावां।

दावा वास्ते भू–विभाजन
अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– श्री जितेन्द्र सिंह राठौड़ अधिवक्ता वादी
श्री रामेश्वरलाल भींचर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

मुकदमा नम्बरः– 189/2022 | डिक्री दिनांकः– 17.04.2023

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि मौजा ग्राम खारड़िया पटवार हल्का खारड़िया तहसील नावां की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 66 रकबा 2.64 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही हैं, जिसकी नकल चालू जमाबंदी व नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ पेश किये। उक्त कृषि आराजीयान भूमि में मुताबिक जमाबंदी 1/12 वां हिस्सा वादी का दर्ज चला आ रहा हैं तथा उक्त कृषि आराजीयान भूमि में मुताबिक जमाबंदी 1/12वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का दर्ज चला आ रहा हैं तथा इसी अनुसार अपनी अपनी कृषि आराजी भूमि का उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं जिसका नजरी नक्शा वाद पत्र के साथ पेश किया। प्रतिवादीगण ने उपरोक्त कृषि आराजीयान भूमि में सुविधानुसार काश्त करने के लिए मौके पर भौतिक बंटवारा आज से करीबन 3–4 वर्ष पूर्व में ही कर लिया था तथा बाद भौतिक बंटवारे के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी कृषि भूमि के चारों ओर सींव माठ डोल लगाकर अपनी कृषि भूमि की

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 15:53:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

सीमा कायम कर ली थी। वादी ने प्रतिवादीगण से अपनी आराजी भूमि का भौतिक बंटवारा कराने के लिए कहा तो इतने दिन तक प्रतिवादीगण आश्वासन देते रहे अब आनाकानी करने लगे हैं जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कतई कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं तथा वादी अपने कृषि आराजी भूमि का भू–विभाजन करवाकर अलग खाता खतौनी करवाने का पूर्ण कानूनी मुश्तहक हैं तथा वादी अपनी कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स भू–विभाजन करावकर सेपरेट हॉल्डिंग करवाने का कानूनी मुश्तहक हैं।

मौजा ग्राम खारड़िया पटवार हल्का खारड़िया तहसील नावां की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 66 रकबा 2.64 हैक्टर भूमि में से 1/12 वे हिस्से की भूमि का वादी तथा 1/12वें हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 काबिज खातेदार कृषक हैं, प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 की खाता खतौनी अलग कर उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकन की जावें, इस आशय की खातेदारी अधिकारों की घोषणा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाने एवं उक्त भूमि में से 1/12वे हिस्से की भूमि का वादी व 1/12वें हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 काबिज खातेदार कृषक हैं, उक्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स भू–विभाजन किया जाकर सेपरेट हॉल्डिंग की जावें, इस आशय की भू–विभाजन की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाने की इस्तदुआ की।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4, 6, 7, 8 के तामील शुदा प्राप्त होने के बावजूद व प्रतिवादी संख्या 1 व 5 के जरिये रजिस्टर्ड डाक सम्मन भिजवाये जाने के बावजूद अनुस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादी नाथुराम व पी.डब्ल्यू.2 गवाह रामसिंह राठौड़ पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी खारडिया तहसील नावां व पी.डब्ल्यू.3 गवाह विक्रमसिंह पुत्र तेजसिंह जाति राजपूत निवासी कांसेडा तहसील नावां के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये। ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहने पर साक्ष्य वादी बंद की गई। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। वादी तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु सहमत होने पर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल भींचर ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किया जिसे उभयपक्ष की सहमति से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध दिनांक 19.09.2022 को की गई एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खारड़िया के खसरा नम्बर 66 रकबा 2.64 हैक्टर भूमि में उत्तरदाता का मुताबिक जमाबंदी 1/12 हिस्सा चला आ रहा है जिसपर उत्तरदाता काबिज खातेदार काश्तकार चला आ रहा है वादी व उत्तरदाता की भूमि एक ही चक में स्थित है जिसके चारों ओर वादी व [illegible] लगाकर कृषि कार्य कर उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है इसलिए उक्त भूमि में वादी की 1/12 हिस्सा एवं उत्तरदाता की 1/12 हिस्सा आराजी भूमि का भू–विभाजन कर अन्य खातेदारों का नाम हटाकर सेपरेट हॉल्डिंग की जावे इस आशय की भू–विभाजन की डिक्री फरमाने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 15:33:23 IST
Reason: SelfAttested

निवेदन किया। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उभयपक्षकारान तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु सहमत होने पर संशोधित प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया।

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान तहसीलदार नावां द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार भू–विभाजन करने हेतु सहमत।

उपरोक्त विवेचनानुसार मौजा ग्राम खारड़िया पटवार हल्का खारड़िया तहसील नावां की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 66 रकबा 2.64 हैक्टर भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि का मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव भू–विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 1 का काउंटर क्लेम स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि मौजा ग्राम खारड़िया पटवार हल्का खारड़िया तहसील नावां की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 66 रकबा 2.64 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि के अलावा शेष भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाया जाता हैं। बंटवारा प्रस्ताव एवं बंटवारा प्रस्ताव के साथ सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश करने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 17.04.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (नागौर)
उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 15:53:23 IST
Reason: SelfAttested

अदालतः— उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला नागौर, राज.
अज अदालत :— श्री अंशुल सिंह, आर.ए.एस.

वादीः—

नाथुराम पुत्र भंवरलाल जाति नायक उम्र 38 वर्ष निवासी खारड़िया तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. किशनलाल पुत्र मुलाराम जाति मेघवाल उम्र 41 वर्ष निवासी रावा तहसील कुचामन सिटी।
2. छीगनाराम पुत्र गणेशराम जाति मेघवाल उम्र 77 वर्ष निवासी खारड़िया तहसील नावां।
3. फेफली पत्नि छितर जाति मेघवाल उम्र 55 वर्ष निवासी खारड़िया तहसील नावां।
4. फुलकीदेवी पत्नि छिगनाराम जाति मेघवाल उम्र 65 वर्ष निवासी खारड़िया तहसील नावां।
5. मदनगोपाल पुत्र नत्थुराम जाति मेघवाल उम्र 65 वर्ष निवासी प्लॉट नम्बर 153 पृथ्वीराज नगर महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर।
6. लिछमणराम पुत्र गणेशराम जाति मेघवाल उम्र 67 वर्ष निवासी खारड़िया तहसील नावां।
7. सरोज पत्नि पवन जाति मेघवाल उम्र 27 वर्ष निवासी खारड़िया तहसील नावां।
8. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां तहसील नावां।

मुकदमां नम्बर :— 189/2022 निर्णय दिनांक :— 17.04.2023

इनफिसाल कतई रूवरू.....वहाजरी श्री जितेन्द्र सिंह अधिवक्ता वादी, श्री रामेश्वरलाल भींचर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 को डिक्री दी जाती हैं कि :—

वादी का वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 1 का काउंटर क्लेम स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि मौजा ग्राम खारड़िया पटवार हल्का खारड़िया तहसील नावां की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 66 रकबा 2.64 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि के अलावा शेष भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाया जाता हैं। बंटवारा प्रस्ताव एवं बंटवारा प्रस्ताव के साथ सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.05.2023 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः
ओहदा : उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीजान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 15:53:23 IST
Reason: SelfAttested